प्रहलाद आदि - शिवराम आदि प्र.क.: 87/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1.7.24	पत्रावली पेश। वकील उत्तरदाता पक्ष उप. वकील उभय पक्षों ने पत्रावली को कन्सोलिडेट करने का निवेदन किया। पक्षकारों की सहमति पर पत्रावली संख्या 11/21 के साथ लिंकअप रहेगी। [signature]	
15.4.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजरव अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 11 / 2021

1 प्रहलाद उम्र 52 साल पुत्र ज्ञानाराम
2 रूघनाथ उम्र 45 साल पुत्र ज्ञानाराम
3 महेश उम्र 37 साल पुत्र ज्ञानाराम
4 गीता देवी उम्र 42 साल पुत्री ज्ञानाराम
5 भागोती उम्र 32 साल पुत्री ज्ञानाराम
6 भंवरलाल उम्र 50 साल पुत्र इन्द्राराम पौत्र नन्दाराम
7 बाबूलाल उम्र 37 साल पुत्र इन्द्राराम पौत्र नन्दाराम
8 माली देवी उम्र 62 साल पत्नी इन्द्राराम
9 मोहनलाल उम्र 57 साल पुत्र मांगाराम पौत्र नन्दाराम
10 गोपाल उम्र 65 साल पुत्र मांगाराम पौत्र नन्दाराम
11 बोगी देवी उम्र 47 साल पुत्री मांगाराम पौत्री नन्दाराम
12 धापू देवी उम्र 62 साल पत्नी स्व. रामकुमार
13 बेगाराम उम्र 35 साल पुत्र स्व. रामकुमार
14 सुशीला देवी उम्र 35 साल पुत्री रामदेव पौत्री मांगाराम
15 मखनी देवी उम्र 72 साल पत्नी ज्ञानाराम

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सेवदो की ढाणी तन भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सेवाराम उम्र 65 साल पुत्र लालाराम पौत्र दानाराम
2 रामेश्वर उम्र 60 साल पुत्र लालाराम पौत्र दानाराम
3 हरदेवाराम उम्र 55 साल पुत्र लालाराम पौत्र दानाराम
4 धन्नाराम उम्र 50 साल पुत्र लालाराम पौत्र दानाराम
5 मंगलचन्द उम्र 35 साल पुत्र सोहन पौत्र मंगलाराम
6 कन्हैयालाल उम्र 35 साल पुत्र स्व. रामकुमार
7 मनोहर उम्र 30 साल पुत्र स्व. ज्ञानाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

8 जगदीश उम्र 40 साल पुत्र इन्द्राराम
9 शिम्भूदयाल उम्र 30 साल पुत्र इन्द्राराम
समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सेवदो की ढाणी तन भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 नोजी उम्र 65 साल पुत्री स्व. मांगाराम पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम बारबदेसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
11 स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 पटवारी हल्का ढहर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 पटवारी हल्का भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 उप पंजीयक नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
16 भूमिधारक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दिनांक 08.01.2021 बउनवानी दावा प्रहलाद आदि बनाम सेवाराम आदि वाद संख्या 41/2019 जिसके जरिए उक्त वाद धारा 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया।

अपील संख्या 87/2021

1 प्रहलाद उम्र 50 साल पुत्र ज्ञानाराम
2 रूघनाथ उम्र 42 साल पुत्र ज्ञानाराम
3 महेश उम्र 35 साल पुत्र ज्ञानाराम
4 भंवरलाल उम्र 48 साल पुत्र इन्द्राराम
5 बाबूलाल उम्र 35 साल पुत्र इन्द्राराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 मोहनलाल उम्र 55 साल पुत्र मांगाराम
7 गोपाल उम्र 63 साल पुत्र मांगाराम
8 बेगाराम उम्र 35 साल पुत्र स्व. रामकुमार
समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सेवदो की ढाणी तन भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सेवाराम उम्र 65 साल पुत्र लालाराम
2 रामेश्वर उम्र 60 साल पुत्र लालाराम
3 हरदेवाराम उम्र 55 साल पुत्र लालाराम
4 धन्नाराम उम्र 50 साल पुत्र लालाराम
5 मंगलचन्द उम्र 35 साल पुत्र सोहन
6 कन्हैयालाल उम्र 35 साल पुत्र स्व. रामकुमार पौत्र मांगाराम
7 नोजी उम्र 65 साल पुत्री स्व. मांगाराम
8 जगदीश पुत्र इन्द्राराम उम्र 40 साल
9 शिम्भुदयाल पुत्र इन्द्राराम उम्र 30 साल
10 गीता पुत्री ज्ञानाराम उम्र 40 साल
11 भागोती पुत्री ज्ञानाराम उम्र 30 साल
12 माली देवी पत्नी इन्द्राराम उम्र 60 साल
13 बोगी देवी पत्नी मांगाराम उम्र 45 साल
14 धापू पत्नी रामकुमार उम्र 60 साल
15 सुशीला देवी पुत्री रामदेव पौत्री मांगाराम उम्र 33 साल
16 मखनी देवी पत्नी ज्ञानाराम उम्र 70 साल
17 मनोहर पुत्र ज्ञानाराम उम्र 30 साल
18 स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
19 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

20 पटवारी हल्का ढहर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
21 पटवारी हल्का भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
22 उप पंजीयक नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
23 भूमिधारक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ निर्णय अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी दिनांक 28.09.2021 उनवानी प्रहलाद बनाम सेवाराम आदि प्रकरण संख्या 57/2020

उपस्थिति :

1. श्री सुरजभान सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2019, 57/2020 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2021, 28.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... अपील अधिकारी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 बाबत निरस्त किये जाने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2001 विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.09.2021 के निर्णय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 87/2021 प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार विवादित भूमियों के संदर्भ में वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 द्वारा धारा 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 08.01.2021 से धारा 11 का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपील संख्या 11/2021 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 07 एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का अवलम्ब लेकर वाद खारिज किया है जबकि धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया के प्रावधान आदेश 07 व 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की परिधि में नहीं आते है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर न तो यह तथ्य उपलब्ध था कि पूर्व वाद में क्या तनकीयात निर्णित हुई न ये पत्रावली पर उपलब्ध था कि इस पश्चातवर्ती वाद में क्या तनकीयात निर्णित होनी है इस तथ्य को नजरअंदाज कर विचारण न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है अतः उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। विधि के मान्य सिद्धान्त के अनुसार धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अवलम्ब लेने वाले पक्षकार को जवाबदावा प्रस्तुत करने के बाद तनकीयात कायम करवाकर धारा 1 सीपीसी लागु होने की तनकी को प्रारम्भिक विधिक तनकी बनाकर निणित करना चाहिए। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने जवाबदावा प्रस्तुत किए बगैर एवं तनकीयात कायम करवाये बगैर ही आदेश 07 एवं 11 सीपीसी के तहत वाद वादी खारिज किया है जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त होने योग्य है। पत्रावली पर यह तथ्य भी मौजूद था कि पूर्व वाद इकतरफा कार्यवाही में डिक्री हुआ है और उस इकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने की कार्यवाही न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में विचाराधीन है इसलिए पूर्ववर्ती वाद का निर्णय अंतिम नहीं है फिर भी उस निर्णय को धारा 11 सीपीसी की परिधि में मानकर विचारण न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है अतः उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। पूर्ववर्ती निर्णय की डिक्री कि कियान्विती मियाद बाहर हो चुकी है अतः उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। पूर्ववर्ती वाद में पश्चातवर्ती वाद में विचाराधीन इस वर्णित समस्त भूमिया सम्मिलित नहीं थी इसलिए धारा 11 सीपीसी के प्रावधान भी लागु नहीं होते। इसलिए भी निर्णय निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट को निर्णय दिनांक 28.09.2021 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य एक दावा संख्या 41/2019 उनवानी प्रहलाद बनाम सेवाराम आदि में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर उक्त एकतरफा निर्णय एवं डिक्री का पता चला जिस पर विचारण न्यायालय में एकतरफा निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने का प्रस्तुत किया जिसको विचारण न्यायालय ने गलत रूप से खारिज कर दिया जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को बिना समुचित सुनवाई एवं तामील के ही एकतरफा निर्णय पारित होना पत्रावली साबित होने के बावजूद भी गलत निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों पर विधिवत रूप से तामील हुए बीना ही निर्णय दिनांक 20.09.2001 पारित कर दिये जाने बाबत कोई प्रमाण पेश नहीं किये है, का अवलम्ब लेकर निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आर्डरशीट से ही साबित होता है कि ज्ञानाराम की कोई तामील ही नहीं हुई थी, मात्र एकबार नोटिस जारी किया था जिसके तहत दिनांक 21.06.2021 को सम्यक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नहीं होने पर पुनः नोटिस जारी नहीं हुए, बल्कि विचारण न्यायालय ने पूर्व में सम्यक रूप से तामील नहीं मानी उसी नोटिस को ही तामील का आधार मानकर एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट ने एकतरफा निर्णय की जानकारी दूसरे प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर पता चला जिसके बाद तुरन्त ही अपीलान्ट ने एकतरफा कार्यवाही अपास्त करने का प्रस्तुत कर दिया लेकिन विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही कर गलत निर्णय पारित किया है जो जैर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

अपील निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक लक्ष्मणगढ़ निर्णय अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी दिनांक 28.09.2021 उनवानी प्रहलाद बनाम सेवाराम आदि प्रकरण संख्या 57/2020 को अपास्त फरमाया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 28.09.2001 को अपास्त फरमाया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदन करने की आज्ञा फरमावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2015 (सुप्रिम राज.) पेज 544 बनवारी बनाम बीओआर, 2017 (सुप्रिम राज.) पेज 1089 मोहनलाल बनाम कमल, 1997 सुप्रिम (राज.) पेज 150, 2011 सुप्रिम (राज.) पेज 1190 स्टेट ऑफ राज. बनाम हसन अली, आरआरडी 2002 पेज 580, आरआरडी 2007 पेज 262, 2006 0 सुप्रिम (राज.) पेज 1868 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि नये खसरा नम्बर 655, 656, 657, 669 जिनके पुराना खसरा नम्बर 106, 320, 297 वाके ग्राम सेवदो की ढाणी, पटवार हल्का भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ भूमि बाबत पूर्व में एक वाद संख्या 164/2001 बउनवानी सेवाराम आदि बनाम मांगूराम आदि 'एस.डी.ओ. फतेहपुर दिनांक 28.09.2001 को निर्णित किया जाकर वाद डिक्री किया गया था जिस वाद में प्रस्तुत वाद के पूर्वज ज्ञानाराम मांगाराम आदि प्रतिवादी के रूप से पक्षकार रहे है तथा पूर्व में निर्णित वाद में पारित डिक्री आज भी प्रभावी है इसलिये वादग्रस्त भूमि के बाबत पूर्व में वाद निर्णय हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त से ग्रसित होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से धारा 11 का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। जहां तक आदेश 09 नियम 13 के आवेदन का प्रश्न है इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने उनके पूर्वजों पर विधिवत रूप से तामील हुए बिना ही निर्णय दिनांक 28.09.2001 पारित कर दिये जाने बाबत कोई प्रमाण पेश नहीं किये है। आावेदकगण ने एक दावा मय प्रार्थना पत्र दावा संख्या 41/2019 उनवानी प्रहलाद आदि बनाम सेवाराम आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. लक्ष्मणगढ़ मे पेश किया था। प्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2001 की जानकारी प्रस्तुत वाद पेश करते समय भी हो गई थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 धारा 5 एवं गुणावगुण पर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज 753 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा संख्या 164/2001 सेवाराम वगै. की ओर से मांगाराम वगै. के विरूद्ध ग्राम भिलूण्डा की भूमि खसरा नम्बर 106, 297, 320 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में अपीलांट के पिता ज्ञानाराम प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार थे। इस वाद में अपीलांट के पिता ज्ञानाराम को दिनांक 12.06.2001 को दिनांक 21.06.2001 के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस चस्पांदगी से तामील है किन्तु नोटिस की पुश्त पर अंकित गवाहों का पता अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तामील को सम्यक मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में तामील के संदर्भ में गुणावगुण पर कोई विवेचन किये बिना अपीलांट का आवेदन आदेश 09 नियम 13 खारिज कर विधिक त्रुटि की है।

जहां तक धारा 11 के आदेश की अपील का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दावा उद्घोषणा बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम किरडोली बड़ी पटवार क्षेत्र डहरकाबास वर्तमान ग्राम पुरोहित का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 57, ग्राम भिलूण्डा की भूमि खसरा नम्बर 106, 204, 297 हाल खसरा नम्बर 659, 320 (655, 656, 657) के संदर्भ में अनुतोष चाहा गया है जबकि पूर्व वाद संख्या 164/2001 में केवल ग्राम भिलूण्डा की भूमि खसरा नम्बर 106, 297, 320 के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया था स्पष्ट है कि दोनों वादों की विषय वस्तु भिन्न है। ऐसी स्थिति में इस वाद में धारा 11 के प्रावधान लागु नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 41/2019 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2021, प्रार्थना पत्र संख्या 57/2020 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 एवं दावा संख्या 164/2001 सेवाराम बनाम मांगाराम में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2001 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वाद संख्या 41/2019 एवं दावा संख्या 164/2001 को समेकित कर दोनों दावों में जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.05.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल प्रकाश)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर